न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 04/2013 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2013/00014

उनवान

1. जगन सिंह पुत्र श्री रामजीलाल
2. जगमोहन पुत्र श्री रामजीलाल
3. नथोली दत्तक पुत्र रतनलाल
4. धरमपाल पुत्र जैसी
5. हरी सिंह पुत्र राम सिंह
6. रामभरोसी पुत्र राम सिंह
7. जल सिंह पुत्र राम सिंह

} जाति मीणा नि0 चौखण्डा तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. यादराम पुत्र परसादी
2. रामचन्द (मृतक)
   - 2/1. रामधानी वेवा रामचन्द
   - 2/2. भंवर सिंह पुत्र रामचन्द
   - 2/3. अमर सिंह पुत्र रामचन्द
3. भौंदू (मृतक)
   - 3/1. किस्तूरी वेवा भौंदू
   - 3/2. हुकम सिंह पुत्र भौंदू
   - 3/3. प्रकाश पुत्र भौंदू
   - 3/4. शशि पुत्र भौंदू
4. कलुआ (मृतक)
   - 4/1. दान सिंह पुत्र कलुआ
   - 4/2. मान सिंह पुत्र कलुआ
   - 4/3. समन्दर पुत्र कलुआ
5. प्रेम सिंह पुत्र रामधन
6. मुंशीलाल पुत्र रामधन
7. चूरामन पुत्र रामधन
8. जयपाल पुत्र टुण्डू
9. बाबू पुत्र टुण्डू
10. रामभरोसी उर्फ रामखिलाडी (मृतक)
    - 10/1. फतेह सिंह पुत्र स्व0 रामखिलाडी
    - 10/2. सोने पुत्र स्व0 रामखिलाडी
    - 10/3. गोपी पुत्र स्व0 रामखिलाडी
    - 10/4. गोपाली वेवा स्व0 रामखिलाडी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

} जाति मीणा नि0 चौखण्डा तह0 बयाना, जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12. मवासी पुत्र टुण्डू (मृतक)
12/1. रूप सिंह पुत्र स्व0 मवासी
12/2. श्रीपत पुत्र स्व0 मवासी
12/3. चेतराम पुत्र स्व0 मवासी
12/4. धर्म सिंह पुत्र स्व0 मवासी
} जाति मीणा नि0 चौखण्डा तह0 बयाना, जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 09.08.2010 प्र0स0 274/04 उनवान परसादी बनाम रामचन्द।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा एवं श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 09.08.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 परसादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 रामचन्द इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम चौखण्डा तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये संयुक्त काश्त करने में पक्षकारान के मध्य आये दिन झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 12.06.2006 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुये, तहसीलदार बयाना से विभाजन प्रस्ताव तलव किये एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2010 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मात्र पॉच लाईन का आदेशिका पर अंकित है, जो बोलता हुआ आदेश नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18–21 की कोई पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर तहसीलदार नहीं गये। जबकि विभाजन के प्रकरण में मौके पर स्वयं तहसीलदार को जाना आवश्यक है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी बाबत् किसी भी पक्षकार को मौके पर पहुँचने की कोई सूचना ही नहीं दी गयी। विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं है। अपीलाण्ट की अधीनस्थ न्यायालय में तलवी भी नहीं हुयी। मवासी अंगूठा लगाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय में मवासी के वकालतनामा पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई वकील ही नहीं किया। तामील एवं वकालतनामा अपीलाण्ट की ओर से फर्जी लगाया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित की गयी है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार मौके पर नहीं गये। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुये, विधिवत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रेतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। प्रकरण से संबंधित दूसरी अपील में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वकील करना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति नहीं की है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार हुये हैं एवं उन पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर अंकित है। अपील में सिर्फ यह वर्णित है कि खसरा नम्बर 286 में से अपीलाण्ट को कोई रकवा नहीं दिया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर में से सभी को रकवा मिला है। तकनीकी आपत्तियॉ की गयी है। यह नहीं बताया कि विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार गलत हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर पक्षकारो को उपस्थित होने हेतु कोई सूचना/नोटिस जारी किया गया हो। ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। विभाजन प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उन पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर अंकित हैं। जबकि विभाजन के प्रकरणो में स्वयं तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि विभाजन प्रस्ताव टाईप शुदा हैं, जो यह आभास कराते हैं कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर नहीं जाकर, कार्यालय में बैठकर ही तैयार किये गये हैं। हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अपीलाधीन आदेश आदेशिका पर लिखा है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। जिसमें वाद के पूर्ण शीर्षक एवं तथ्यो का कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार को निर्देशित करे कि वह स्वयं मौके पर जाकर, पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर प्रदान करते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2010 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

देते हुये, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर